"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] रायपुर, गुरुवार दिनांक 16 मई 2013—वैशाख 26, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन के समीप, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक एफ-35/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/527.—दिनांक 14 मई 2013 को नगर पंचायत, पाली, जिला-कोरबा, छ.ग. के 4 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-35/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. उमेश चन्द्रा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत, पाली, जिला-कोरबा, छ.ग.

2. बुन्दराम पटेल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत, पाली, जिला-कोरबा, छ.ग.

3. राममिलन यादव, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत, पाली, जिला-कोरबा, छ.ग.

4. अजय जायसवाल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत, पाली, जिला-कोरबा, छ.ग.

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 14 मई 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), कोरबा (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 5 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत पाली के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 4 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 5 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत पाली के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी उमेश चन्द्रा, बुन्दराम पटेल, राममिलन यादव एवं अजय जायसवाल द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थी उमेश चन्द्रा, बुन्दराम पटेल, राममिलन यादव एवं अजय जायसवाल को दिनांक 26 फरवरी 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. कारण बताओ सूचना उक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 10 मार्च 2010 को सम्यक् रूप से तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी उमेश चन्द्रा, बुन्दराम पटेल एवं राममिलन यादव को सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में य [illegible] माना जाकर कि उक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है; उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी अजय जायसवाल ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में आयोग को प्रस्तुत अपने जवाब दिनांक 1[illegible] म[illegible] 2010 में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सहायक रिटर्निंग आफिसर नगर पंचायत पाली के समक्ष निर्धारित अवधि में निर्वाचन व[illegible] लेखा प्रस्तुत किया गया था केन्तु संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त प्रपत्र आवश्यक सुधार हेतु उन्हें पुनः व्यय लेखा प्रपत्र वापस कि[illegible]ा गया था. जिसमें आवश्यक सुधार कर पुनः निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है. उनके द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई कि [illegible]न द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विहित समय एवं अपेक्षित रीति से निर्वाचन कार्यालय में जमा किया गया है. अभ्यर्थी के जवाब के सन्द[illegible] निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अभिमत में उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी अजय जायसवाल [illegible]र्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रपत्र में 20 दिन विलंब से दिनांक 16 फरवरी 2010 को प्रभारी अधिकारी (निर्वाचन व्यय लेखा [illegible] पंचायत पाली के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय कोरबा में जमा कर दिया गया था. निर्वाचन अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अ[illegible]ावेदन को स्वीकार करने की अनुशंसा की है. इस पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान [illegible]रते हुए दिनांक 27 दिसम्बर 2011 को आयोग में आहूत किया गया. जिसमें अभ्यर्थी का शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. अ[illegible]यर्थी द्वारा लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 4 जनवरी 2010 को सहायक निर्वाचन अधिकारी, नगर पंचायत पाली को प्रस्तुत किया था जिसे आवश्यक सुधार कराकर सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा जि[illegible] निर्वाचन अधिकारी को व्यय लेखा रजिस्टर दिनांक 8 जनवरी 2010 को प्रेषित किया था. अपने जवाब एवं बयान की पुष्टि में अभ्य[illegible] ने सहायक निर्वाचन अधिकारी नगर पंचायत पाली के जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा को संबोधित पत्र दिनांक 8 जनवरी 2010

प्रति प्रस्तुत की एवं यह भी निवेदन किया कि अगर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करते हुए उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जाये. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सहायक निर्वाचन अधिकारी नगर पंचायत पाली के पत्र दिनांक 8 जनवरी 2010 के सन्दर्भ में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा के साथ जमा किये गये शपथ पत्र की प्रति एवं उनका निर्वाचन व्यय लेखा शपथ पत्र के साथ प्राप्ति दिनांक की जानकारी निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त की गई. निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त शपथ पत्र की प्रति संलग्न की गई जिसमें शपथ पत्र निष्पादन का दिनांक 22 जनवरी 2010 अंकित है.

5. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी उमेश चन्द्रा, बुन्दराम पटेल, राममिलन यादव एवं अजय जायसवाल ने निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख के प्रावधान के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि 26 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश का दिन था; अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

6. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत पाली के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी उमेश चन्द्रा, बुन्दराम पटेल एवं राममिलन यादव ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में आयोग को अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया. अन्य अभ्यर्थी अजय जायसवाल ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में आयोग को प्रस्तुत अपने जवाब एवं शपथपत्र में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 4 जनवरी 2010 को सहायक निर्वाचन अधिकारी, नगर पंचायत पाली को प्रस्तुत किया था जिसे आवश्यक सुधार कराकर सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अधिकारी को व्यय लेखा रजिस्टर दिनांक 8 जनवरी 2010 को प्रेषित किया था जो कि निर्वाचन अधिकारी को 20 दिन विलंब से दिनांक 16 फरवरी 2010 को प्राप्त हुआ; जबकि उक्त निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत होना अपेक्षित था. अब यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या निर्वाचन अधिकारी से भिन्न अन्य अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुति को अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप माना जा सकता है. अधिनियम की धारा 32-ख के प्रावधान की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका-7 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करने की अनिवार्यता थी. पीला बाई जैन विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य [रिट पीटीशन (C) No. 1331 of 2012] मामले में पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2013 में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी से भिन्न अन्य अधिकारी को प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जा सकता. अत: सहायक निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत प्रश्नाधीन निर्वाचन व्यय लेखा की प्रस्तुति को अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षा की पूर्ति नहीं माना जा सकता है क्योंकि उक्त निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को नियत अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं हुआ. उपरोक्त विवेचना से आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी उमेश चन्द्रा, बुन्दराम पटेल, राममिलन यादव एवं अजय जायसवाल प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. यद्यपि अधिनियम की धारा 32-ग में निर्वाचन व्यय लेखा की प्रस्तुति में बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनाधिक कालावधि के

लिए निरर्हित करने का प्रावधान है, लेकिन विद्यमान परिस्थिति में तीन वर्ष की कालावधि हेतु निरर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों उमेश चन्द्रा, बुन्दराम पटेल, राममिलन यादव एवं अजय जायसवाल को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 14 मई 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.